संख्या-94/2015/1670/78-2-2015-44आई.टी./2015

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 12 अक्टूबर, 2015**

विषयः डिजिटल लॉकर खोले जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक सचिव, इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3(11)/2015ईजी-II दिनांक 05.05.2015 की संलग्न छायाप्रति का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। (संलग्नक-1)

2. इस संबंध में अवगत कराना है कि डिजिटल लॉकर सिस्ट्म को डिजिटल इण्डिया प्रोग्राम के अन्तर्गत दिनांक 01 जुलाई, 2015 से प्रारम्भ किया गया है। डिजिटल लॉकर सिस्ट्म का बीटा संस्करण (http://digitallocker.gov.in) इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, भारत सरकार (डी.ई.आई.टी.वाई.) द्वारा जारी किया जा चुका है। इस योजना के अन्तर्गत देश के प्रत्येक नागरिक अपने अभिलेखों को डिजीटल प्रारूप में संरक्षित रख सकते है तथा इस संबंध में एक जी.बी. का व्यक्तिगत स्टोरेज स्पेस भी उपलब्ध कराया गया है।

3. डिजिटल लॉकर सिस्ट्म का उपयोग कर प्रत्येक नागरिक अपने सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों जैसे- पैन कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान पत्र आदि को डिजिटल फार्म में संरक्षित रख सकता है। यह सिस्टम मूल दस्तावेजों को साक्षात्कार इत्यादि के लिए साथ ले जाने की अनिवार्यता को खत्म करते हुए मूल दस्तावेजो के नष्ट अथवा खो जाने की स्थिति में कमी लाता है। इस सिस्टम के उपयोग से डाटा का संचरण एवं संचालन अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। डिजिटल लॉकर सिस्ट्म के संबंध में विस्तृत जानकारी संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। (संलग्नक-2)

4. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एनआईसी) के सहयोग से मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों के डिजिटल लॉकर खोले जाने तथा जनपद में डिजिटल लॉकर के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। जिलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों तथा जनसामान्य द्वारा भी डिजिटल लॉकर खोले जाने हेतु भी आवश्यक व्यवस्थायें कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्याः 94/2015/1670(1)/78-2-2015 तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, विशेष सचिव, आई.टी. एवं इले;क्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. राज्य समन्वयक, सीईजी, गोमती नगर, लखनऊ।
4. राज्य सूचना विज्ञार अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे समस्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों को अपने स्तर से निदेशित करने का कष्ट करें।
5. हेड, एस.ई.एम.टी.।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।